

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी ता

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री खोखुन कुमार पिता स्व0 रामेश्वर राम द्वारा अंचल-सदर, मौजा-हुइहुइ, थाना संख्या-147, खाता संख्या-80, प्लॉट संख्या-796, रकबा-0.04 एकड़ भूमि सुनील कुमार दास पिता बालेश्वर दास के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत बिक्री अनुमति प्राप्त करने के निमित्त आवेदन-पत्र समर्पित किया गया। जिसके आलोक में परमिशन वाद संख्या 754/2022 प्रारम्भ किया गया।

इसी क्रम में आवेदक खोखुन कुमार द्वारा आवेदन-पत्र समर्पित कर सूचित किया गया है कि क्रेता भूमि खरीद करने हेतु असमर्थ हैं। वाद संख्या 754/2022 को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अतः आवेदक के अनुरोध के आलोक में परमिशन वाद संख्या 754/2022 को खारिज किया जाता है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

सेवा में.
श्रीमान् अपर
हजारीबाग
विभाग

20/05/22